



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222543  
CG-DL-E-19102020-222543

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525]  
No. 525]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

वित्त मंत्रालय  
(वित्तीय सेवाएं विभाग)  
(बीमा प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 647(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) संशोधन नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 39 में,-  
(क) उपनियम (1) में, खंड (क) से खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

**“लघु शास्ति:**

(क) परिनिंदा ;

(ख) तीन वर्ष से अनधिक की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए एक या उससे अधिक वेतन वृद्धि रोकना ;

(ग) किसी आदेश के उल्लंघन या उपेक्षा द्वारा निगम को हुई किसी धन संबंधी हानि के संपूर्ण या उसके भाग की उसके वेतन या उसको देय ऐसी अन्य रकम से वसूली करना ;

(घ) पदोन्नति रोकना ;

(ङ) तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए बिना संचयी प्रभाव और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वेतन समय मान में किसी निम्न स्तर में अवनति करना ।

**वृहद् शास्ति :**

(च) तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बिना संचयी प्रभाव और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वेतन समय मान में किसी निम्न स्तर में अवनति करना और यह निदेश देना कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन की वृद्धि कर्मचारी को होगी या नहीं ;

(छ) किसी निम्न सेवा या पद या निम्न समय-मान या समय-मान के निम्न स्तर में अवनति करना ;

(ज) अनिवार्य सेवानिवृत्ति ;

(झ) सेवा से हटाना जो भविष्य नियोजन के लिए निररहता नहीं होगी ;

(ञ) पदच्युति ;

(ख) उपनियम (2) में, “खंड (ख) से खंड (छ)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “खंड (च) से खंड (ज)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) (i) उपनियम (1) के खंड (च) से खंड (ज) के अधीन कोई वृहद् शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त, अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे आरोपों की जो स्वीकृत हैं, स्वयं जांच कर सकेगा या यदि इसके लिए समीचीन समझता है तो जांच बोर्ड या इसके प्रयोजन के लिए जांच अधिकारी, नियुक्त कर सकेगा ;

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी या अनुसूची (1) में यथाविनिर्दिष्ट कोई उच्चतर प्राधिकारी, नियम 39 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा;

(iii) यदि उपनियम (1) के खंड (ख) से खंड (ङ) के अधीन कोई लघु शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रस्तावित की जाती है तो संबद्ध कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में लिखित में सूचित किया जाएगा और पंद्रह दिन से अनधिक की विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि जो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाए, के भीतर उसे अपनी प्रतिरक्षा में लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा कथन, यदि कोई हो, विचार में लिया जाएगा । तथापि, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई जांच आवश्यक है, तो उपनियम (1) के खंड (च) से खंड (ज) के अधीन कोई बड़ी शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ;

(iv) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय है कि उपनियम (1) के खंड (च) से खंड (ज) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जाए, और यदि वह कर्मचारियों के उस प्रवर्ग जिससे कर्मचारी संबंधित है, की बाबत नियुक्ति प्राधिकारी की पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का है तो वह अपनी सिफारिशों, उस शास्ति के संबंध में जो

अधिरोपित की जाए, नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और ऐसे मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी को जांच के रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए जाएंगे तथा इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी, यदि यह समुचित समझता है, तो ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश करेगा ;

- (v) यदि भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) नियम, 1960 के नियम 24क के अर्थान्तर्गत लैगिंग उत्पीड़न की कोई शिकायत है तो ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए प्रत्येक मंडल या आंचलिक या केंद्रीय कार्यालय में स्थापित आंतरिक शिकायत समिति को जांच बोर्ड या उपनियम (3) के खंड (1) के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त कोई जांच अधिकारी समझा जाएगा ;
- (vi) यदि किसी मामले में दो या दो से अधिक कर्मचारी शामिल हैं, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे सभी कर्मचारियों पर वृहद् शास्ति अधिरोपित करने के लिए आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि उन सभी के विरुद्ध विभागीय जांच सामूहिक कार्यवाही द्वारा की जाए।”

3. मूल नियमों में, नियम 46 में, उपनियम (2) में, खंड (ग) में, खंड (iii) के परंतुक में, “(ख) से (छ)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “(च) से (ज)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

4. मूल नियमों में, नियम 48 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड का कोई आदेश तकनीकी आधारों पर प्रभावहीन है और लागू नहीं होता है तो अध्यक्ष मामले के तथ्यों को मंगा सकेगा, उक्त आदेश को अपास्त कर सकेगा और उसे उस प्राधिकारी को वापस कर सकेगा जिसने ऐसा आदेश पारित किया है या किसी अन्य प्राधिकारी को बिना और जांच किए हुए शास्ति अधिरोपित करने के लिए नए आदेश पारित करने का निदेश दे सकेगा।”

5. मूल नियमों में, अनुसूची (1) के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

**“अनुसूची**

(नियम 6, नियम 39 और नियम 40 देखिए)  
नियुक्ति, अनुशासनिक और अपीलीय प्राधिकारी

लघु शास्ति – नियम 39(1)(क) से (ड)

कर्मचारियों का वर्ग	नियुक्ति प्राधिकारी	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(क) वर्ग 1 : आंचलिक प्रबंधक या उससे ऊपर के काडर या समतुल्य काडर में पद	कार्यकारिणी समिति	अध्यक्ष	कार्यकारिणी समिति
उप-आंचलिक प्रबंधक/वरि प्रभागीय प्रबंधक के काडर और समतुल्य काडर में पद	अध्यक्ष	एसडीएम काँडर के लिए एमडी सीओ पर डीएम के लिए डी(पी) जोन के अधीन डीएम के लिए जेड एम आई/सी	अध्यक्ष प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक
सहायक प्रभागीय प्रबंधक/वरि शाखा प्रबंधक के काडर और समतुल्य काडर में पद	प्रबंध निदेशक	सीओ पर एडीएम के लिए डी(पी) जोन के अधीन एडीएम/एसबीएम के लिए जेडएम आई/सी	प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक
शाखा प्रबंधक/प्रशासनिक अधिकारी के काडर और समतुल्य काडर में पद	कार्यपालक निदेशक (पी)	सीओ के अधीन एओ के काडर में अधिकारियों के लिए डी(पी)	प्रबंध निदेशक

		जेडओ पर तैनात एओ काडर के लिए जेडएम आई/सी  लेखा केंद्रों पर तैनात एओ काडर में अधिकारियों के लिए ईडी(लेखा)/मुख्य (लेखा)  डीओ के अधीन एओ काडर में अधिकारियों के लिए वरि /डीएम	प्रबंध निदेशक  प्रबंध निदेशक  जेडएम
वर्ग 1 में अन्य पद	जेडएम/डी(पी) ईडी(लेखा)/मुख्य(लेखा)	केंद्रीय कार्यालय के अधीन एओ काडर में अधिकारियों के लिए डी(पी)  लेखा केंद्रों पर तैनात एओ के काडर में अधिकारियों के लिए ईडी(लेखा)/मुख्य(लेखा)  जेडओ पर तैनात एओ काडर के लिए जेडएम आई/सी  डीओ के अधीन एओ के काडर में अधिकारियों के लिए वरि/डीएम	प्रबंध निदेशक  प्रबंध निदेशक  प्रबंध निदेशक  जेडएम
(ख) वर्ग 2 :	डीएम	डीएम	जेडएम
(ग) वर्ग 3 और वर्ग 4 : अन्य कर्मचारी	डीएम	(वरि/डीएम/सचिव/उप(सचिव) लेखा	जेडएम/डी(पी)ईडी(लेखा)/मुख्य(लेखा)

### वृहद् शास्ति – नियम 39(1)(च) से (ज)

कर्मचारियों का वर्ग	नियुक्ति प्राधिकारी	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(क) वर्ग 1 : जेडएम और उससे ऊपर के काडर तथा उसके समतुल्य काडर में पद	कार्यकारिणी समिति	कार्यकारिणी समिति	निगम
डीजेडएम/वरि डीएम/डीएम काडर तथा उसके समतुल्य काडर में पद	अध्यक्ष	अध्यक्ष	कार्यकारिणी समिति
एडीएम/वरि बीएम काडर और उसके समतुल्य काडर में पद	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
बीएम/एओ काडर और समतुल्य काडर में पद	कार्यपालक निदेशक (पी)	कार्यपालक निदेशक (पी)	प्रबंध निदेशक
वर्ग 1 में अन्य पद	जेडएम/डी(पी) ईडी(लेखा)/मुख्य(लेखा)	जेडएम/डी(पी) ईडी(लेखा)/मुख्य(लेखा)	प्रबंध निदेशक
(ख) वर्ग 2 :	डीएम	डीएम	जेडएम
(ग) वर्ग 3 और वर्ग 4 अन्य कर्मचारी	डीएम	डीएम	जेडएम/डी(पी) ईडी(लेखा)/मुख्य(लेखा)

**टिप्पण :** (1) - इस अनुसूची में अंतर्विष्ट किन्हीं भी उपबंधों के होते हुए, वर्ग 1 अधिकारी को नियम 39 के उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित करने का प्राधिकार होगा और ऐसी शास्ति के अधिरोपण के विरुद्ध कोई अपील किसी एक पद उच्चतर वाले अधिकारी को की जाएगी ।

(2) इस अनुसूची में जेडएम से अंचल का प्रभारी आंचलिक प्रबंधक अभिप्रेत है ; डी(पी) से कार्यपालक निदेशक (कार्मिक) अभिप्रेत है; और एमडी से प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है । यदि प्राधिकारी डीएम है तो,- (क) किसी प्रभाग में, प्रभागीय कार्यालय का कार्यालय-प्रभारी जो प्रभागीय प्रबंधक की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(ख) केंद्रीय कार्यालय और आंचलिक कार्यालय पर कोई ऐसा अधिकारी क्रमशः डी(पी) और जेएम द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत, प्रभागीय प्रबंधक की नीचे से पंक्ति का न हो ; (ग) केंद्रीय कार्यालय से भिन्न किसी स्थान पर आंतरिक लेखा विभाग के संबंध में सचिव या उपसचिव (लेखा) ; और (घ) केंद्रीय कार्यालय पर आंतरिक लेखा विभाग के संबंध में कार्यपालक निदेशक (लेखा) द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी जो प्रभागीय प्रबंधक की पंक्ति से नीचे का न हो ।”।

[फा. सं. एस-11011/12/2019- बीमा-1]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र में 23 जुलाई, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 790(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**

**(Insurance Division)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2020

**G.S.R. 647(E).**—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, namely:—

**1. Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Staff) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 39,-

(a) in sub-rule (1), for clauses (a) to (g), the following clauses shall be substituted, namely:-

**“Minor Penalties:**

- (a) censure;
- (b) withholding of one or more increments for a specified period not exceeding three years;
- (c) recovery from pay or such other amount as may be due to him of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Corporation by negligence or breach of orders;
- (d) withholding of promotion;
- (e) reduction to a lower stage in a time-scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension.

**Major Penalties:**

- (f) reduction to a lower stage in a time scale of pay for a specified period exceeding three years with or without cumulative effect and with further direction as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction;
- (g) reduction to a lower service or post or to a lower time scale or to a lower stage in a time-scale;
- (h) compulsory retirement;
- (i) removal from service which shall not be a disqualification for future employment;
- (j) dismissal.;
- (b) in sub-rule (2), for the word, brackets and letters, “clauses (b) to (g)”, the word, brackets and letters “clauses (f) to (j)” shall be substituted;

(c) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

- “(3) (i) the disciplinary authority empowered to impose any of the major penalties under clauses (f) to (j) of sub-rule (1) may itself enquire into such of the charges as are not admitted or if it considers necessary so to do, appoint a board of enquiry or an enquiry officer for the purpose;
- (ii) the disciplinary authority or any higher authority as specified in Schedule I may impose any of the penalties specified in rule 39;
- (iii) where it is proposed to impose any of the minor penalties under clauses (b) to (e) of sub-rule (1), the employee concerned shall be informed in writing of the imputation of lapses against him and given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified period not exceeding fifteen days or such extended period as may be granted by the disciplinary authority and the defence statement, if any, submitted by the employee shall be taken into consideration by the disciplinary authority before passing orders. However, where the disciplinary authority is satisfied that an inquiry is necessary it shall follow the procedure for imposing a major penalty under clauses (f) to (j) of sub-rule (1);
- (iv) where the disciplinary authority is of the opinion that the penalty to be imposed is any of the penalties specified in clauses (f) to (j) of sub-rule (1), and if it is lower in rank to the appointing authority in respect of the category of employees to which the employee belongs, it shall submit to the appointing authority its recommendations regarding the penalty that may be imposed and records of the enquiry shall also be submitted to the appointing authority in such cases and thereafter the appointing authority shall make an order imposing such penalty, as it considers appropriate;
- (v) where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of rule 24A of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, the Internal Complaints Committee established in each Divisional or Zonal or Central Office for inquiring into such complaints shall be deemed to be a board of enquiry or an enquiry officer appointed by the disciplinary authority for the purpose of clause (i) of sub-rule (3);
- (vi) where two or more employees are involved in a case, the authority competent to impose a major penalty on all such employees may make an order directing that departmental enquiry against all of them may be taken in a common proceeding.”.

3. In the principal rules, in rule 46, in sub-rule (2), in clause (c), in the proviso, in clause (iii), for the word, brackets and letters “(b) to (g)”, the word, brackets and letters “(f) to (j)” shall be substituted.

4. In the principal rules, in rule 48, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(4) Notwithstanding anything contained in these rules, if the order of punishment imposed by any authority is inapplicable and ineffective on technical grounds, the Chairman may call for the facts of the case, set aside the said order and remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing to pass fresh orders imposing penalty, without further enquiry.”.

5. In the principal rules, for Schedule – I, the following schedule shall be substituted, namely:-

**“SCHEDULE - I**

*(See rules 6, 39 and 40)*

**APPOINTING, DISCIPLINARY AND APPELLATE AUTHORITIES**

**MINOR PENALTIES—Rule 39 (1) (a) to (e)**

<b>Category of employees</b>	<b>Appointing Authority</b>	<b>Disciplinary Authority</b>	<b>Appellate Authority</b>
<b>(a) Class I:</b> Posts in the cadres of ZM and above and equivalent cadres:	Executive Committee	Chairman	Executive Committee
Posts in the cadres of DZM/Sr.DM/ DM and equivalent cadres	Chairman	MD for SDM Cadre  D(P) for DM cadre at CO  ZM I/C for DM cadre under the Zone	Chairman  Managing Director  Managing Director

Posts in the cadres of ADM/ Sr.BM and equivalent cadres	Managing Director	D(P) for ADM cadre under CO ZM I/C for ADM/SBM cadre under the Zone	Managing Director Managing Director
Posts in the cadres of AO/BM	Executive Director (P)	D(P) for officers in the cadre of AO under CO ZM I/C for AO cadre posted at ZO ED(Audit)/Chief (Audit) for officers in the cadre of AO posted at Audit Centers. Sr./DM for officers in the cadre of AO under DO	Managing Director Managing Director Managing Director ZM
Other posts in Class-I	ZM/D(P) ED(Audit)/ Chief(Audit)	D(P) for officers in the cadre of AAO under Central Office. ED(Audit)/Chief (Audit) for officers in the cadre of AAO posted at Audit Centers. ZM I/C for AAO cadre posted at ZO Sr./DM for officers in the cadre of AAO under DO	Managing Director Managing Director Managing Director ZM
<b>(b)Class II:</b>	DM	DM	ZM
<b>(c)Class III &amp; IV:</b> Other employees	DM	Sr./DM/Secretary/Dy(Secretary)Audit	ZM/D(P)/ED(Audit)/Chief(Audit)

**MAJOR PENALTIES—Rule 39 (1) (f) to (j)**

Category of employees	Appointing Authority	Disciplinary Authority	Appellate Authority
<b>(a) Class I:</b>			
Posts in the cadres of ZM and above and equivalent cadres	Executive Committee	Executive Committee	Corporation
Posts in the cadres of DZM/Sr.DM/DM and equivalent cadres:	Chairman	Chairman	Executive Committee
Posts in the cadres of ADM/Sr.BM and equivalent cadres	Managing Director	Managing Director	Chairman
Posts in the cadres of BM/AO and equivalent cadres.	Executive Director (P)	Executive Director (P)	Managing Director
Other posts in Class-I	ZM/D(P) ED(Audit)/ Chief(Audit)	ZM/D(P) ED(Audit)/Chief(Audit)	Managing Director
<b>(b) Class II:</b>	DM	DM	ZM
<b>(c) Class III and IV</b> Other employees	DM	DM	ZM/D(P)/ ED(Audit)/ Chief(Audit)

**Notes: (1)** Notwithstanding the provisions contained in this Schedule, the immediate superior Class I Officer shall have authority to impose the penalty of censure under clause (a) of sub-rule (1) of rule 39 and any appeal against the imposition of such penalty shall lie to an officer one step higher.

(2) In this Schedule, Z.M. means the Zonal Manager in charge of the Zone; D(P) means the Executive Director(Personnel) and M.D. means Managing Director. Where the authority is D.M. it shall mean (a) in a Division, the Officer-in-charge of the Divisional Office not below the rank of Divisional Manager; (b) at the Zonal Office and Central Office an Officer not below the rank of Divisional Manager, duly authorised by the Z.M., and D(P) respectively; (c) in respect of the Internal Audit Department at a place other than Central Office, the Secretary or Deputy Secretary(Audit) and (d) in respect of the Internal Audit Department at the Central Office, an officer, not below the rank of Divisional Manager duly authorised by the Executive Director (Audit).”

[F. No. S-11011/12/2019-Ins.I]

LALIT KUMAR, Economic Advisor

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India on 23<sup>rd</sup> July, 1960 and lastly amended *vide* number GSR 790(E), dated the 16<sup>th</sup> October, 2019.